सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Department of Information Technology & Communication

Ref. No F5(915)/DoIT/Tech/15/ 02571/2019 **Date:** 8/7/2019

अध्यक्ष एवं जिला कलेक्टर,
जिला ई–मित्र सोसाइटी।
समस्त जिला, राजस्थान

विषयः– ई–मित्र परियोजना में कार्यरत कियोस्क को बंद करने के क्रम में।
संदर्भः– पत्र क्रमांक F5(915)DoIT/Tech/15/I/54432/2016 दिनांक 28/07/2016
पत्र क्रमांक F5(915)DoIT/Tech/15/I/62666/2017 दिनांक 11/01/2017
पत्र क्रमांक F5(915)DoIT/Tech/15/I/SPL1 दिनांक 09/10/2017

महोदय,

विभाग के उपरोक्त संदर्भित पत्रों द्वारा कियोस्कों के सुगम संचालन, वित्तीय अनियमितता एवं कियोस्क को स्थाई रूप से बंद करने हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गए थे। ई–मित्र परियोजना के सन्दर्भ में ई–मित्र कियोस्क द्वारा आमजन से सेवा हेतु विभाग द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल किये जाने को विभाग द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया है।

ई–मित्र कियोस्क द्वारा अधिक राशि लेने पर, प्रार्थी द्वारा 181 या राजस्थान सम्पर्क पर कियोस्क के विरूद्ध शिकायत दर्ज की जायेगी। शिकायत प्राप्त होने पर SDM/ SDO द्वारा शिकायत की जांच की जायेगी तथा आवश्यक होने पर प्रार्थी एवं ई–मित्र कियोस्क धारक को व्यक्तिशः सुनवाई हेतु बुलाया जायेगा।

SDM/ SDO द्वारा प्रकरण की जांच करवाकर तथा सही पाये जाने पर 7 दिवस में निर्णय कर कियोस्क पर निम्न प्रकार कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया जाता है:

1. प्रथम बार शिकायत प्राप्त होने पर उक्त अधिकारी अपने SSO ID से e-Sign कर कियोस्क को 07–15 दिन के लिए Suspend कर सकते हैं अथवा कियोस्क पर रू. 1000/– से 5000/– तक की शास्ति आरोपित कर सकते हैं अथवा उक्त दोनो शास्ति आरोपित कर सकते हैं।
2. द्वितीय बार शिकायत प्राप्त होने पर उक्त अधिकारी अपने SSO ID से e-Sign कर कियोस्क को 15–30 दिन के लिए Suspend कर सकते हैं अथवा कियोस्क पर रू. 10000/– से 50000/– तक की शास्ति आरोपित कर सकते हैं अथवा उक्त दोनो शास्ति आरोपित कर सकते हैं।
3. तृतीय बार शिकायत प्राप्त होने पर उक्त अधिकारी अपने SSO ID से e-Sign कर कियोस्क को स्थायी रूप से बन्द कर BLACK LIST कर सकते हैं।

इस सम्बन्ध में कियोस्क जिला कलेक्टर को Appeal कर सकता है एवं जिला कलेक्टर द्वारा 30 दिन में निर्णय कर Appeal का निस्तारण किया जायेगा।

उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया ई–मित्र पोर्टल पर ऑनलाईन की जायेगी तथा ई–मित्र कियोस्क धारक द्वारा शास्ति नहीं जमा करवाने की स्थिति में कियोस्क को बन्द कर दिया जायेगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

8.7.19
(अम्बरीष कुमार)
विशिष्ट शासन सचिव एवं आयुक्त

Ref. No F5(915)/DoIT/Tech/15/ 02571/2019 **Date:** 08/07/2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्राद्यौगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
3. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), कार्यालय एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक),सूचना प्राद्यौगिकी एवं संचार विभाग, समस्त जिले।
4. स्थानीय सेवा प्रदाता (समस्त), ई–मित्र परियोजना, राजस्थान।
5. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त निदेशक